

राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री जे.एन.मथुरिया(आर.ए.एस.)

आर.सी.एम.एस 2014 / 00263

अपील संख्या 158 / 2017 (आर.टी.ए. 223)

उनवान

1. पोखनसिंह
2. ख्यालसिंह
3. चन्दू
4. मूलचंद
5. भगवानसिंह

पिसरान स्व. किशनसिंह जाति अहीर निवासी
नगला मांझी तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

.....अपीलांटस

बनाम

1. सीताराम पुत्र श्री सुक्खा जाति अहीर निवासी नगला मांझी तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब कुम्हेर जिला भरतपुर।

.....रेस्पोंडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध निर्णय एवं डिक्ली न्यायालय श्रीमान सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) भरतपुर दिनांक 07.12.96 अन्तर्गत प्रकरण राजस्व संख्या 139/96 शीर्षक सीताराम बनाम किशनसिंह आदि।

उपस्थिति :- वकील अपीलांट श्री महाराज सिंह डागुर एड.

वकील रेस्पोंड श्री बी.एल. मथुरिया एड.

निर्णय

दिनांक 06.08.2018

यह अपील अपीलार्थी द्वारा इस आशय की पेश की गई है कि आराजी खसरा नम्बर 390 रकबा 0.34, 393 रकबा 0.29, 85 रकबा 0.26, 89 रकबा 0.49, 90 रकबा 0.01, 91 रकबा 0.01, 92 रकबा 0.67, 440 रकबा 0.59, 449 रकबा 0.22, 446 रकबा 0.42, 472 रकबा 0.40, 473 रकबा 0.87, 478 रकबा 0.54, 479 रकबा 0.35, 480 रकबा 0.41, 448 रकबा 0.49, 474 रकबा 0.01, 475 रकबा 0.45

किता 18 रकबा 6.78 वाके ग्राम नगल मांझी में स्थित हैं। जिसे आगे विवादित आराजी कहा गया है। विवादित आराजी बाबत् अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को तलव किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगाई गई।

उभयपक्ष बहस सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अधीनस्थ न्यायालय के राजीनामे के आधार पर वाद निर्णित किया है। जबकि ऐसा कोई राजीनामा अपीलार्थी के पूर्वज द्वारा नहीं दिया गया है, और ना ही राजीनामा वैध हैं। अधीनस्थ न्यायालय को नियम 19 से 21 की पालना करते हुए कुरे बनाने चाहिए थे। जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने फर्जी/कूटरचित/शून्य राजीनामे के आधार पर निर्णय पारित किया है अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री अपास्त करते हुए प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को नियमानुसार विभाजन हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे।

बचाव में वकील प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री राजीनामे के आधार पर पारित की गई हैं। हिस्सों में कोई विवाद नहीं है और रिकॉर्ड में अमल हो चुका है। अपील मियाद बाहर पेश की गई है। अतः अपील खारिज की जावें।

बहस उभयपक्ष एवं पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है, कि अपीलाधीन आदेश 07.12.96 को पारित किया गया है, राजीनामा प्रस्तुत करने वाले पक्षकार ने अपने जीवन काल में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का कोई विरोध नहीं किया। बंटवारे में भी किसी प्रकार की अनियमितता का कोई साक्ष्य वकील अपीलांत ने अपील मीमो में नहीं लिया है। केवल कथनी के आधार पर निर्णय को अपास्त करने हेतु निवेदन किया है। ऐसी दशा में अपील अपीलार्थी मेरिट/मियाद के बिंदु पर खारिज की जाती हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

यह आदेश आज दिनांक 06.08.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

डिकरी व सीगे अपील
(ऑर्डर 41 , रूल 35, जाब्ता दीबानी)
(Civil Procedure Code,Appendix D&1)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

व इजलास श्री जगदीश नारायण मथुरिया (आर0ए0एस0)
 आर.सी.एम.एस 2014 / 00263
 अपील संख्या 158 / 2017 (आर.टी.ए. 223)

उनवान

1. पोखनसिंह
2. ख्यालसिंह
3. चन्दू
4. मूलचंद
5. भगवानसिंह

पिसरान स्व. किशनसिंह जाति अहीर निवासी
 नगला मांझी तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

बनाम

1. सीताराम पुत्र श्री सुक्खा जाति अहीर निवासी नगला मांझी तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब कुम्हेर जिला भरतपुर।

.....अपीलांटस

.....रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय श्रीमान सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) भरतपुर दिनांक 07.12.96 अन्तर्गत प्रकरण राजस्व संख्या 139/96 शीर्षक सीताराम बनाम किशनसिंह आदि।

यह अपील व तारीख 06.08.18 व हमारे श्री महाराज सिंह भिन्नजानिब अपीलान्ट व श्री बी.एल. मथुरिया रेस्पोंडेन्ट समायत के लिये पेश होकर यह हुक्म है कि अपील अपीलार्थी मरिद / मियाद के बिंदु पर खारिज की जाती हैं।

(खर्चा अपील का हस्य तफसील जेर तादादी जेर तादादी मुबलिग.....)रूपये.....अदा करें, खर्चा मुकदमा मुबलिग का.....अदा करें। बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06.08.18 को जारी की गई।

सत्यमेव जयते

राजस्व अपील प्राधिकारी
 भरतपुर

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलमाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफरिंक		
मुतफरिंक					
मीजान			मीजान		

